20.04.2023	रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री के.पीसिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली हो। अधिवक्ता अपीलांट का नोटिस **"श्री मोहम्मद शरीफ काजी साहब ईद होने की वजह से गांव जैतारण गये है वापस ईद के बाद मे आयेगे"** की बाद रिपोर्ट प्राप्त संलग्न। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण मे तकनीकी बिन्दुओ पर बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम मौजा बलाडा के खसरा नंबर 1126 रकबा 79.10 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी पेशी दिनांक 23.03.2021 नियत की गई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 18.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं साथ ही धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम स्थगन के संबध मे निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2021 के जरिये सारहीन होने से खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त दोनो आदेशो के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत कर प्रकरण मे अंतरिम व्यादेश प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश के अन्तर्गत स्थगन आदेश प्रदान नही किये जाने के संबध मे किसी प्रकार का आदेश प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं थी। उसके पश्चात दिनांक दिनांक 18.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेश किया एवं साथ ही धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम स्थगन के संबध मे निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2021 के जरिये सारहीन होने से खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल मे निगरानी किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो आदेशो के विरूद्ध उक्त अपील हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण ग्राहयता के स्तर पर खारिज योग्य थी। हाजा न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेशो के विरूद्ध उक्त अपील के अन्तर्गत स्थगन आदेश पारित किया गया है, जबकि जैर अपील आदेशो के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी किये जाने का प्रावधान है। अत उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हालांकि प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता का नोटिस विधिवत तामिल नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे एकपक्षीय बहस सुनकर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है।

किन्तु प्रकरण मे मूल प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या जैर अपील आदेशो के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील पोषणीय है अथवा नही ? इस संबध मे न्यायालय स्वंय द्वारा अपने स्तर पर जैर अपील आदेशो का अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम मौजा बलाडा के खसरा नंबर 1126 रकबा 79.10 बीघा के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी पेशी दिनांक 23.03.2021 नियत की गई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 18.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं साथ ही धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अंतरिम स्थगन के संबध मे निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2021 के जरिये सारहीन होने से खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत सर्वप्रथम अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश से वादग्रस्त आराजी के संबध मे किसी भी पक्षकार के अधिकारो का हनन संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। अंतरिम व्यादेश के संबध मे किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे आदेश के विरूद्ध उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है।

उसके पश्चात पश्चात दिनांक 18.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं साथ ही धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम स्थगन के संबध मे निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2021 के जरिये सारहीन होने से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के जरिये धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना खारिज किया गया है। ऐसे आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी किये जाने का प्रावधान है। उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष ग्राहयता के स्तर पर खारिज योग्य थी। किन्तु हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अंतरिम व्यादेश पारित किया गया। जो न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

प्रकरण मे यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक लंबित है एवं वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल आदेश उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपने हक–हकूक के संबध मे समस्त उज्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाने हेतु स्वतंत्र रहेगे।

अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील जैर अपील आदेश के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। एवं सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे आपके समक्ष राजस्व विविध संख्या 03/2021 बउनवान पांचुडी बनाम टिमादेवी वगेरह के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली